प्रेस नोट दिनांक 17.11.2025

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त 03 अदद लकडी के डण्डे बरामद-

प्रतापगढ़।

वादिनी ग्राम पर्वतपुर सुलेमान थाना आसपुर देवसरा द्वारा सूचना दी कि दिनांक 16/11/2025 को सुबह पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों द्वारा उनके परिवार पर हमला किया गया। हमला करने वालों ने लाठी-डंडों से प्रहार कर उनके बेटे और पति को गंभीर चोटें आई, जबकि वादिनी और पुत्री को भी चोटें आई। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 314/25 धारा 115 (2)/109 (1)/3(5)/351 (3)/352 बीएनएस बनाम 07 नामजद व 2-3 व्यक्ति का अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अ पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल तथा क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षणमें थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह का० नरेन्द्र राम, का0 गौतम मौर्य द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 314/25 धारा 115 (2)/109 (1)/3(5)/351 (3)/352 बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों, 1. लालबहादुर सरोज पुत्र स्व0 रामकरन उम्र करीब 50 वर्ष, 2- रोहित सरोज पुत्र लालबहादुर सरोज उम्र करीब 28 वर्ष, 3- फूलचन्द्र सरोज पुत्र लाल बहादुर सरोज उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम पर्वतपुर सुलेमान थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को घटना में प्रयुक्त 03 अदद लकडी के डण्डे के साथ थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत पर्वतपुर से हरईपट्टी रोड पर ग्राम पर्वतपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों ने लकडी के डण्डो से वादिनी व उसके परिवारजनों के साथ मार पीट किया था तथा वादिनी के बेटे को डण्डो से एक राय होकर सिर पर मार दिया था तथा डण्डो को सडक पास कुछ दूर आकर खेत में छुपा दिया था। तत्पश्चात अभियुक्तों की निशानदेही पर मौके से फेंके हुए डण्डे बरामद किये गये। अभियुक्तों द्वारा बताया कि यह वही डण्डे है जिससे हम लोगो ने वादिनी के परिवारजनों के साथ मारपीट किया था और सिर पर मारा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. लालबहादुर सरोज पुत्र स्व0 रामकरन उम्र करीब 50 वर्ष,

2- रोहित सरोज पुत्र लालबहादुर सरोज उम्र करीब 28 वर्ष,

3- फूलचन्द्र सरोज पुत्र लाल बहादुर सरोज उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम पर्वतपुर सुलेमान थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 03 अदद लकडी के डण्डे बरामद

पुलिस टीम-

उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह का० नरेन्द्र राम, का0 गौतम मौर्य थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 17.11.2025

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्व चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना सांगीपुर के उ0नि0 आकाश शुक्ला मय हमराह का रामनिवास यादव व का0 पंकज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान फौ0वाद -2449/13 अ0सं0 87/2000 धारा 392/411 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अजय प्रताप सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह निवासी ग्राम सिलौधी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजय प्रताप सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह निवासी ग्राम सिलौधी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

प्रेस नोट दिनांक 17.11.2025

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ में थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे पटरी के पास हुई हत्या के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में 01 अभियुक्त सूरज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है-

प्रतापगढ़।

वादी निवासी राघवपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना देल्हूपुर पर तहरीर दी थी कि दिनांक 16-11-2025 को सुबह उनके भाई का शव रेलवे स्टेशन विश्वनाथगंज रेलवे पटरी के पास मिला। वादी ने बताया कि उनका भाई दिनांक 15-11-2025 को अपने दोस्त सूरज मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा, ग्राम भुपिया मऊ, थाना को० देहात के साथ शादी में जाने की बात कहकर निकला था। वादी को शक है कि सूरज मिश्रा ने उनके भाई की हत्या की है। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 134/2025 धारा 103 (1) बी0एन0एस0 बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल तथा क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधे बाबू मय उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह व का0 विकास सिंह पटेल चालक का० विकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों के दौरान प्राप्त मुखबिर की सूचना पर मान्धाता रेलवे क्रासिंग के पास से मु0अ0स0 134/2025 धारा 103 (1) बी0एन0एस0 से संबंधित 01 अभियुक्त सूरज मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी ग्राम सरायसागर भूपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेरे द्वारा ही मृतक को दिनांक 15.11.2025 को साथ लेकर एक शादी ग्राम भावलपुर में सम्मिलित होने के लिये आया था। भावलपुर के पास ही रेलवे लाइन के किनारे रात करीब 8 बजे गर्लफ्रेण्ड की बात को लेकर मार-पीट किया गया था, मारपीट के दौरान अचानक प्रयागराज से प्रतापगढ़ की तरफ जा रही ट्रेन की तरफ मेरे द्वारा हत्या करने के उद्देश्य से धक्का दे दिया गया । जिससे मृतक का सिर जा रही ट्रेन के डिब्बे के सीढी से टकरा गया जिससे उसका सिर में गहरी चोट आ

गई। मृतक रेलवे लाइन की पटरी ग्राम भावलपुर के पास झाडियों में गिर गया, जिसको मैने जाकर देखा तो उसकी मृत्यु हो गयी थी। जिसका खून भी मेरे शर्ट में लग गया था तथा घटना में उठा पटक के दौरान शर्ट भी फट गयी थी जिसको मैने घटना के बाद घटना स्थल के कुछ दूर पर झाडियों में फेंक दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक झाड़ियों में फेके हुए शर्ट बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी ग्राम सरायसागर भूपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधे बाबू मय उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह व का0 विकास सिंह पटेल चालक का० विकाश यादव थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।